



उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।

पता—अल्पसंख्यक कल्याण भवन बी० ब्लॉक भूतल, शहीद भगत सिंह कालोनी, निकट—छात्रावास, अधोईवाला, देहरादून।
फोन / फैक्स नं० 0135-2975456

Website: www.ukmadarsaboard.org.in,
Email id: ukmadarsaboard@gmail.com

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।

तालिका

क्र.सं	मैनुअल का विवरण	पृष्ठ संख्या
1	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	3-9
2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	10-13
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।	14-16
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	17-18
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	19-20
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण, जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियंत्रण में हैं।	21-22
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।	23-24
8	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ हैं।	25-26
9	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	27-28
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों	29-30
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए	31-32
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।	33-34
13	अपने द्वारा अनुदत्त छूटों अधिकार-पत्रों अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण	35-36
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों।	37-38
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपभोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।	39-40
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां नामित लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं दूरभाष संख्या।	41-42
17	अन्य सूचना, जो विहित की जाय।	43-44
18	वेबसाइट के माध्यम से प्रकट की जाने वाली सूचना	45-46

खण्ड-1

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

खण्ड—1

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

- **प्रस्तावना:**— नवसृजित राज्य उत्तराखण्ड की उत्पत्ति 09 नवम्बर, 2000 को हुई, राज्य उत्पत्ति के उपरान्त उत्तराखण्ड राज्य में अरबी फारसी परीक्षाओं का संचालन पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा ही होता रहा। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचना सं0 26/XVII(1)-3/05-07(30)/2004 दिनांक 19 फरवरी, 2005 को उत्तरांचल मुस्लिम ऐजुकेशन मिशन की स्थापना मुस्लिम समुदाय का शैक्षिक पिछ़ड़ापन दूर करने के उददेश्य से की गयी थी। इसी क्रम में शासनादेश सं0 813/XVII(1)-3/06-07(11)/2005 दिनांक 03 अगस्त, 2006 के द्वारा “मदरसा अरबी फारसी बोर्ड” की स्थापना उत्तराखण्ड राज्य में की गई तथा वर्ष 2012 तक अरबी फारसी परीक्षाएँ उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् के सहयोग से ही संचालित होती रही। इसके उपरान्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1209/XVII-3/11-07(11)/2005 टी0सी0 दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 के द्वारा उत्तरांचल मुस्लिम ऐजुकेशन मिशन के समस्त पदों को समर्पित कर ‘उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड’ का गठन किया गया तथा वर्ष 2013 की अरबी फारसी परीक्षाएँ एवं मदरसा मान्यताओं का कार्य उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड द्वारा सम्पादित कराया जाने लगा।
- **उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्**— उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड को विधिवत् स्थापित किये जाने के उददेश्य से उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम 2006, 31 मार्च, 2016 को प्रख्यापित करते हुए अधिसूचना संख्या—1625/XVII-3/16-07(61)/2013 दिनांक 10 नवम्बर, 2016 के द्वारा “उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्” का विधिवत् गठन किया गया। उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड राज्य में अरबी फारसी परीक्षाएँ, मान्यताएँ, मदरसों को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था का प्रमाण पत्र, मदरसों का आधुनिकीकरण का कार्य एवं भारत सरकार की योजनाओं को संचालित कर रहा है तथा मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर किये जाने में अपना पूर्ण योगदान दे रहा है।
- उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) में सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर की अध्यक्षता में आहूत बैठक में उप समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उक्त परिषद् के पत्र सं0 उ0वि0शि0प0/परिषद्-समकक्षता/69-71/2015-16 दिनांक 18 सितम्बर, 2015 के क्रम में मुंशी (फारसी), मौलवी (अरबी) को हाईस्कूल एवं आलिम (अरबी/फारसी) को इण्टरमीडिएट के समकक्ष अस्थाई रूप से समकक्षता प्रदान की गई है तथा दिनांक 06 दिसम्बर, 2015 को बोर्ड बैठक में भी समकक्षता प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित कर शासन स्तर पर शासनादेश जारी करने हेतु कार्यवाही गतिमान है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् का भारत बोर्ड मण्डल (कोबसे) में पंजीकरण कराया जा चुका है।
- **उददेश्य**—उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् का मुख्य उददेश्य मदरसों का पंजीकरण / मान्यता प्रदान कर उन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ना तथा उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया कराना, राज्य के अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिम समुदाय हेतु मदरसा अरबी फारसी की परीक्षा कराना तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना, मुस्लिम वर्ग को आधुनिक एवं रोजगारपरक शिक्षा मुहैया कराना, मदरसों को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था प्रमाण पत्र प्रदान करना, मदरसों के आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटर शिक्षा के प्रोत्साहन के उददेश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, प्रधानमंत्री के पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम, मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण की योजनाओं को संचालित करना है ताकि वे समाज की मुख्यधारा के साथ जुड़कर अन्य वर्गों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चल सके।

प्रेषक,

एस० राजू
प्रमुख सचिव एंव आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी—नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग—३ देहरादून:

दिनांक: ९ दिसम्बर, २०११

विषय:

उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, का गठन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान में राज्य में लगभग 500 ऐसे मदरसे संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें आधुनिक शिक्षा के साथ—साथ दीनी—तालीम प्रदान की जा रही है, परन्तु इन मदरसों में से 26 मदरसे ही ऐसे हैं जो उ०प्र० मान्यता बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। उ०प्र० मदरसा बोर्ड मुंशी/मौलवी (10वीं फारसी), आलिम(12 वीं), कामिल(स्नातक), तथा फाजिल(स्नाकोत्तर) के प्रमाण—पत्र/उपाधि प्रदान करता है। इस प्रकार में मदरसा बोर्ड के गठन न होने के कारण राज्य के मदरसा एवं छात्रों को अत्यधिक कठिनाई होती है। अतः मदरसों को मान्यता एवं उक्तानुसार प्रमाण—पत्र/उपाधि प्रदान करने के साथ—साथ उत्तराखण्ड राज्य की परीक्षाओं को संचालित किये जाने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल महोदय “उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड” के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जियका मुख्यालय देहरादून में होगा।

3. उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड का संचालन किये जाने हेतु निम्न पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2012 तक बर्ती कि ये पद इससे पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये, सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (ग्रेड—पे) र में	स्वीकृत पदों की संख्या
1	निदेशक	आई०ए०एस / वरिष्ठ पी०सी०एस संवर्ग	01(एक)
2	उपरजिस्ट्रार(प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण)	वेतन बैन्ड—3,15600—39100+ग्रेड पे—5400	01(एक)
3	निरीक्षक (प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण)	वेतन बैन्ड—2, 9300—34800+ग्रेड पे—4600)	01(एक)
4	उर्दू अनुवादक	वेतन बैन्ड—1, 5200—20200+ग्रेड पे—2400	01(एक)
कुल			04(चार)

उक्त के अतिरिक्त लेखाकार के 01 पद, कनिष्ठ सहायक के 05 पद, अनुसेवक के 02 पद एवं स्वीपर—कम चौकीदार के 01 पद पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जानी होगी। आउट सोर्सिंग के माध्यम से स्वीकृत पदों पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली—2008 के संगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए कार्य सम्पादन किया जायेगा।

4. निर्धारित वेतनमान में सृजित पदों के सापेक्ष नियमानुसार नियुक्त पद धारकों को शासन द्वारा समय—समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

5. राज्य में स्थापित मुस्लिम एजुकेशन मिशन को एतद् द्वारा समाप्त किया जाता है तथा उसमें सृजित पदों को भी समर्पित किया जाता है।

6. शासन के शासनादेश संख्या: 88 / XVII-(1)—3 / 06—07(30) / 2005 दिनांक 16 फरवरी, 2006 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या: 638 / XVII-(1) / स०क०—4(स०क०) / 2004 दिनांक 09 मार्च, 2005 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 806 / XVII-(1)—3 / 05—07(30) / 2005 टी०सी० दिनांक 01 अगस्त, 2006 द्वारा मुस्लिम एजुकेशन मिशन के लिए सृजित पदों सम्बन्धी समस्त उक्त आदेशों को निरस्त किया जाता है।

7. राज्य के अन्तर्गत समस्त मदरसों से सम्बन्धित सभी योजनाओं/कार्यों दायित्वों इत्यादि जिनका संचालन अभी तक मुस्लिम एजुकेशन द्वारा किया जा रहा है आदेश जारी होने की तिथि से उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, द्वारा किया जायेगा।
8. जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ही मदरसों से सम्बन्धित कार्यों का संचालन निदेशक / उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड के निर्देशानुसार करेंगे।
9. नवगठित उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक–2250 अन्य सामाजिक सेवाएं–00–800–अन्य व्ययक–उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड की स्थापना –00 के मानक मद–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–305/XVII–(P) XXVII–(3) 2011–12 दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जायेंगे।

भवदीय

(एस०राजू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्या /XVII-3/16-07(61)/2013
देहरादून : दिनांक : 10 नवम्बर, 2016
आधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06, सन् 2016) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके दिनांक 10 नवम्बर, 2016 से उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् ज्ञात नाम से देहरादून में स्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(डॉ. भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : (1) / XVII-3/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि—निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर 100 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विजय चन्द्र कौशल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 1625(2) / XVII-3/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मारो मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमॉऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद्, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।
9. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा/उर्दू शिक्षा, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
12. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
13. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसमर्पक विभाग उत्तराखण्ड।
14. समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।

कार्यभार प्रमाणक

प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के स्थानान्तरण/तैनाती पत्र संख्या-742/XXX-1-2021 दिनांक 30 नवम्बर, 2021 के क्रम में जैसा कि व्यक्त किया गया है, निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून का पदभार दिनांक 03.12.2021 के पूर्वाहन में ग्रहण किया गया।

मोचक अधिकारी,

(राजेन्द्र कुमार)

प्रतिहस्ताक्षरित

(एल. फैनई)

प्रमुख सचिव,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या: 469 / उ०म०शि०प० / कार्यभार-ग्रहण / 2021-22

दिनांक 03 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. मुख्य/वरिष्ठ कोषधिकारी, देहरादून।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
10. महाप्रबन्धक, अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।
11. अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पिरान कलियर, रुड़की।
12. सचिव, अल्पसंख्यक आयोग उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
14. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. शाखा प्रबन्धक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, राजपुर रोड, देहरादून।
16. गार्ड फाईल हेतु।

(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक।

कार्यभार प्रमाणक

प्रमाणित किया जाता है कि प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—742 / XXX-1-2021 दिनांक 30 नवम्बर, 2021 के क्रम में जैसा कि व्यक्त किया गया है, उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून का पदभार दिनांक 03.12.2021 के पूर्वाहन में ग्रहण किया गया।

मोर्चक अधिकारी

(अब्दुल यामीन)

प्रतिहस्ताक्षरित

(सुरेश चन्द्र जोशी)
निदेशक।

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।

पता— अल्पसंख्यक कल्याण भवन ए० ब्लॉक, शहीद भगत सिंह कालोनी, निकट छात्रावास, अधोइवाला, देहरादून।
फोन/फैक्स नं० ०१३५-२९७५४५६ website www.ukmadarsaboard.org.in

संख्या: 187 / उ०म०शि०प० / कार्यभार / 2021-22

दिनांक 30 जुलाई, 2021

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

1. माननीय अध्यक्ष, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को उनके आदेश दिनांक 27.07.2021 के क्रम में सूचनार्थ।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महाप्रबन्धक, अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।
6. अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पिरान कलियर, रुड़की।
7. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड बोर्ड, देहरादून।
9. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
10. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. शाखा प्रबन्धक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, राजपुर रोड, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

(अब्दुल यामीन)
उप रजिस्ट्रार।

खण्ड—2

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य
(The powers and duties of its officers and employees)

खण्ड-2

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य (The powers and duties of its officers and employees)

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यकलापों के सर्वोन्मुखी विस्तार होने तथा उसके अन्तर्गत हो रहे कार्यों में वांछित प्रगति लाने के उद्देश्य से विभागाध्यक्ष स्तर तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों को निम्नलिखित अधिकार एवं शक्तियों प्रतिनिधानित है।

उत्तरांचल शासन वन एवं ग्राम्य विकास शाखा संख्या 560/वन एवं ग्रा.वि.आ.शा./2001 दिनांक 10 जुलाई 2001 द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड को निम्न प्रकार विभागाध्यक्ष के दायित्व एवं प्रक्रिया निर्धारित की गयी है :—

प्रस्ताव

विभागाध्यक्ष स्तर से

1— वित्तीय स्वीकृतियाँ	संकलित प्रस्ताव शासन को भेजी जायेगी
2— अधिष्ठान संबंधी कार्य	श्रेणी 3 व 4
3— दण्डादेश / प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन	श्रेणी 3 व 4 के कार्मिकों के प्रथम अपील
4— स्थानान्तरण(सामान्य कार्य) (स्थानान्तरण सत्र के पश्चात् शासन की अनुमति से)	श्रेणी 3 व 4
5— नियुक्तियाँ (शासन की अनुमति के उपरान्त) (श्रेणी-3 कतिपय संवर्गों में लोक सेवा आयोग के परामर्श से)	श्रेणी 3 व 4

विभाग के नीतिगत प्रकरणों में शासन स्तर पर प्रशासनिक निर्णय हेतु सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण को अधिकृत किया गया है।

निदेशालय स्तर पर संचालित योजनाओं के सफल कार्यान्वयन, अनुश्रवण तथा विभागीय अधिष्ठान से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड में निहित है।

जनपद स्तर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में नियमानुसार योजनाओं के सफल संचालन हेतु प्रयासरत है। इस हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों को आहरण वितरण के अधिकार भी प्रदान किये गये हैं।

1. नियुक्ति संबंधी अधिकार :-

1. समस्त समूह 'ग' एवं 'घ' (अराजपत्रित) कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी निदेशक है। राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों की दक्षतारोक एवं अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार निदेशक में निहित है।

2— वित्तीय अधिकार :-

1. विभागाध्यक्ष की हैसियत से निदेशक में समस्त प्रकार के वित्तीय अधिकार निहित है राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के स्थायी जी०पी०एफ० अग्रिम का अधिकार निदेशक में निहित है।
2. वित्तीय व्ययों का भुगतान निदेशक, के अनुमोदनोपरांत कोषागार के माध्यम से किया जाता है।

3—प्रशासनिक अधिकार:-

1. सभी राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी अधिकार निदेशक में निहित है।
2. समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों स्वीकृतकर्ता अधिकारी निदेशक है।
3. रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार के वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के समीक्षा अधिकारी है।
4. विभाग के अन्तर्गत समस्त अधिष्ठानों के नियंत्रक अधिकारी है।
5. जिला स्तरीय अधिकारियों को लघु दण्ड एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को लघु एवं वृहद दण्ड देने का अधिकार है।

कार्यालय स्तर पर कार्य आवंटन :

1. उप रजिस्ट्रार:

राज्य के अंतर्गत समस्त मदरसों से सम्बन्धित सभी योजनाओं/कार्यों दायित्वों इत्यादि का संचालन जो पूर्व में सचिव, मुस्लिम ऐजुकेशन मिशन के रूप में किया जा रहा था, बोर्ड गठन की तिथि से उप रजिस्ट्रार एवं निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् द्वारा किया जा रहा है। जनपद स्तर पर मदरसों से सम्बन्धित सभी कार्यों का संचालन निदेशक/उप रजिस्ट्रार के निर्देशों के अनुरूप ही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों द्वारा संपन्न कराया जा रहा है।

2. श्रीमती फराह सुल्ताना (उर्दू अनुवादक):-

अरबी फारसी परीक्षा का कार्य एवं आधार कार्ड की सूचना, व्याधिक्य बचत खर्चों का रख रखाव, नजारत से सम्बन्धित समस्त कार्य एवं उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्य।

3. श्री हारून रशीद (कनिष्ठ सहायक):-

आई०डी०एम०आई० योजना का कार्य, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल एवं मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिकाएँ, विधान सभा प्रश्न, परिषद् की बैठक का ऐंडेंडा तैयार करना, कार्यवृत्त बनाना आदि, सहायक लोक सूचना अधिकारी के साथ सहयोग करना व उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्य।

4. श्री खुर्शीद अहमद (कनिष्ठ सहायक):-

मदरसों की मान्यता का कार्य, अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने सम्बन्धी कार्य, परिषद् की बैठक के कार्यों में योगदान करना, निरीक्षण आख्या, मध्याहन भोजन योजना, मीटिंग रजिस्टर तैयार करना एवं उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्य।

5. श्री विरेन्द्र कुमार (कनिष्ठ सहायक):-

डाक प्राप्ति एवं निस्तारण, महामहिम श्री राज्यपाल एवं मा० मुख्यमंत्री तथा वी०आई०पी० कार्यालय से प्राप्त सन्दर्भ, स्टेशनरी, सी.एम. हेल्प लाईन पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण एवं उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्य।

6. श्री विजय कुमार (कनिष्ठ सहायक):-

एस०पी०क्य०ई०एम० योजना का समस्त कार्य, सूचना का अधिकार, शौचालय पहल योजना, एवं उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्य।

7. श्री रमीज रजा (लेखाकार):-

लेखा सम्बन्धी समस्त कार्य, बिल लिपिक, नजारत बजट नियन्त्रण, अनुपूरक, पुनर्विनियोग प्रस्ताव तैयार करना, बी०एम०-८, वित्तीय मामलों सम्बन्धी पत्रावलियों को तैयार कर अपनी टिप्पणी सहित अग्रसारित करना, बजट एवं वित्तीय प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही करना, वार्षिक योजना व उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्य।

8. श्री मुहम्मद याकूब (कनिष्ठ सहायक):-

अरबी फारसी परीक्षा का तकनीकी कार्य, सन्निरीक्षा एवं परीक्षा के करेक्शन, अरबी फारसी परीक्षा में सहयोग करना आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य व उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्य।

9. सुरेश चन्द्र पाण्डेय (अनुसेवक):-

कार्यालय में दफतरी का कार्य।

10. महेश चन्द्र नाथ (अनुसेवक):-

कार्यालय में डाक व्यवस्था का कार्य।

11. विकास चन्द (स्वी० कम चौकी०):-

कार्यालय में सफाई व्यवस्था एवं चौकीदारी।

खण्ड-3

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद)

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

खण्ड-3

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

मदरसों की मान्यता:- राज्य के मदरसों को मान्यता देने का कार्य गतिमान है, मान्यता आवेदनों की जांच मान्यता नियमावली के अनुसार परीक्षण का दायित्व जिलों में तैनात जिला समाज/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का है। आतिथि तक 416 मदरसों को विभिन्न स्तरों की मान्यता उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून द्वारा प्रदान की जा चुकी है तथा लगभग 53 मदरसों की विभिन्न स्तरों की मान्यता संबंधी पत्रावलियां कार्यालय को प्राप्त हो चुकी हैं जिनका निरीक्षण/परीक्षण कार्यालय स्तर पर गतिमान है।

मदरसों की अरबी फारसी परीक्षाएँ:- राज्य में अरबी तथा फारसी मदरसों की परीक्षाओं का संचालन वर्ष 2012–13 में प्रथम बार उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड द्वारा किया गया, जिसमें 1605 छात्र/छात्राएँ सम्मिलित हुए थे। वर्ष 2013–14 में 2546, वर्ष 2014–15 में 3251, वर्ष 2015–16 में 3892, वर्ष 2016–17 में 5764, वर्ष 2017–18 में 5518, वर्ष 2018–19 में 5746, वर्ष 2019–20 में 5176, वर्ष 2020–21 में 4188, वर्ष 2021–22 में 3141 एवं वर्ष 2022–23 में 2363 छात्र/छात्राएँ अरबी फारसी परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हैं। राज्य की अरबी तथा फारसी परीक्षाओं में सहयोग का दायित्व संगत जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का है। कार्यालय स्तर पर उर्दू अनुवादक एवं कनिष्ठ सहायकों द्वारा उप रजिस्ट्रार एवं निदेशक के माध्यम से कार्य संपादन कराया जाता है।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था प्रमाण पत्र:- मदरसों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेने के लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहती थी। वर्तमान सरकार द्वारा मदरसों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून को 'सक्षम प्राधिकारी' नामित किया। पूर्व में मदरसों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्र हेतु शिक्षा विभाग एवं अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये जाते थे। राज्य में मदरसों को अल्पसंख्यक संस्था प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के क्रम उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् द्वारा 98 मदरसों को प्रमाण पत्र प्रदान किये जा चुके हैं तथा 48 प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है।

सक्रियता:- उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) में सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर की अध्यक्षता में आहूत बैठक में उप समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उक्त परिषद् के पत्र सं ०१०५०३०५००/परिषद्-समकक्षता/६९-७१/२०१५-१६ दिनांक १८ सितम्बर, २०१५ के क्रम में उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड का विधिवत् गठन होने संबंधी अधिसूचना जारी होने तथा अधिनियम/विनियम पारित होने तथा उत्तराखण्ड मदरसा परिषद् का अपना पाठ्यक्रम अनुमोदित होने तक छात्रहित/जनहित में उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड की मुंशी (फारसी), मौलवी (अरबी) की परीक्षा को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा

परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष एवं आलिम (अरबी व फारसी) को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष अस्थाई रूप से मान्यता/समकक्षता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति प्रदान की गई है। कार्यालय का सामान्य पत्राचार उप रजिस्ट्रार एवं निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है। भारतीय शिक्षा बोर्ड मण्डल, नई दिल्ली (कोबसे) में उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् का पंजीकरण कराया जा चुका है।

खण्ड—4

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान

खण्ड—4

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान

विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं यथा मान्यता, परीक्षाएँ, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था प्रमाण पत्र प्रदान करने एवं मदरसों के आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटर शिक्षा के प्रोत्साहन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के कार्यान्वयन हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनके अनुसार योजनाओं यथा मान्यता एवं परीक्षाओं का संचालन किया जाता है। प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का यह ध्येय होता है कि मान्यता एवं परीक्षाओं के क्रियान्वयन में समयबद्धता, पारदर्शिता का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक कार्यों का निष्पादन किया जाये।

खण्ड—5

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

खण्ड-5

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों
के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और
अभिलेख

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों/मान्यताओं/अरबी फारसी परीक्षाओं के कार्यान्वयन हेतु शासन स्तर से योजनावार नियमावलियाँ/शासनादेश/विनियम प्रख्यापित हैं। उनमें अंकित प्राविधानों/निर्देशों के क्रम में ही योजनाओं/परीक्षाओं/मान्यताओं का संचालन किया जाता है। भारत सरकार के सहयोग से जिन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, उन्हें भारत सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा संचालित किया जाता है।

खण्ड-6

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण, जो उनके द्वारा धारित
किये गये हैं अथवा उनके नियंत्रण में है।

खण्ड—6

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण, जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा
उनके नियंत्रण में है।

विभागीय योजनाओं के संचालन के लिए विभिन्न पंजीकायें/अभिलेख जिला स्तर पर संरक्षित करने की व्यवस्था है। उक्त अभिलेखों में योजना से संबंधित समस्त विवरण यथा लाभार्थी का नाम, पता, आयु, जाति, प्रदान की गयी सहायता की धनराशि आदि का विवरण अंकित किया जाता है एवं यह समस्त अभिलेख/दस्तावेज जिला स्तरीय कार्यालयों में अभिरक्षित रहते हैं।

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् स्तर पर दी जाने वाली मान्यताओं हेतु मदरसों द्वारा बनाई जाने वाली पत्रावलियां, उनमें लगी एफ.डी.आर. एवं अरबी फारसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले मदरसों से प्राप्त छात्र-छात्राओं के आवेदन, परीक्षाफल एवं परीक्षा चालान आदि अभिलेख/दस्तावेज कार्यालय मदरसा शिक्षा परिषद् में अभिरक्षित हैं।

खण्ड-7

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।

(The Particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof.)

खण्ड-7

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।

(The Particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof.)

इस कार्यालय से सूचना शून्य में प्रेषित।

खण्ड—8

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ हैं।

खण्ड—8

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ हैं।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0 953 / XVII-3/19-02(16)/2018 दिनांक 07 जून, 2019 के द्वारा उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् में अधिनियम 2016 की धारा 3 की उपधारा 3 के खण्ड (क) के अनुसार अध्यक्ष एवं धारा 3 की उपधारा 3 के खण्ड (ख), (ट), (ठ) एवं (ड) के अनुसार उपाध्यक्ष, वित्त एवं लेखा अधिकारी, निरीक्षक तथा उप निबन्धक नामित किये गये हैं। जो निम्न प्रकार हैं:-

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् | : | अध्यक्ष |
| 2. निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् | : | उपाध्यक्ष |
| 3. वित्त अधिकारी, अ०सं०कल्याण उत्तराखण्ड | : | सदस्य |
| 4. निरीक्षक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् | : | सदस्य |
| 5. उप निबंधन, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् | : | संयोजक सदस्य |

बोर्ड/परिषद् द्वारा बुलायी जाने वाली बैठकों में मान्यता प्राप्त एवं अरबी फारसी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मदरसों के प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों आदि को समय-2 पर बुलाया जाता है तथा ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त सुलभ संदर्भ हेतु सभी को प्रेषित किये जाते हैं।

खण्ड—9

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

खण्ड-9

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्) अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र. सं.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम (सर्वश्री / सुश्री)	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	दूरभाष
1.	श्री राजेन्द्र कुमार	निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।	03.12.2021	0135-2975456
2.	श्री अब्दुल यामीन	उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।	30.07.2021	0135-2975456
तृतीय श्रेणी कर्मचारी (उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)				
1.	श्री हारून रशीद (उपनल)	कनिष्ठ सहायक	10.12.2011	0135-2975456
2.	श्री खुर्शीद अहमद (उपनल)	कनिष्ठ सहायक	10.12.2011	0135-2975456
3.	श्री विरेन्द्र कुमार (उपनल)	कनिष्ठ सहायक	09.09.2014	0135-2975456
4.	श्रीमती फराह अजीम (उपनल)	उर्दू अनुवादक	01.08.2014	0135-2975456
5.	श्री विजय कुमार (उपनल)	कनिष्ठ सहायक	16.09.2014	0135-2975456
5.	श्री रमीज राजा (उपनल)	लेखाकार	28.01.2016	0135-2975456
6.	श्री मौ० याकूब (पी.आर.डी.)	कनिष्ठ सहायक	19.09.2017	0135-2975456
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)				
1.	श्री सुरेश चन्द्र पांडे (पी०आर०डी०)	अनुसेवक	10.12.2011	0135-2975456
2.	श्री महेश चन्द्र नाथ (पी०आर०डी०)	अनुसेवक	10.12.2011	0135-2975456
3.	श्री विकास चन्द्र (उपनल)	स्वीपर कम चौकीदार	16.09.2014	0135-2975456

खण्ड-10

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों

खण्ड-10

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें
उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।

विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध स्वीकृत पदों के वेतनमान संबंधी विवरण

विभिन्न वर्गों के पदों के पदनाम	स्वीकृत पद		कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	कुल रिक्त पद	वेतनमान	मासिक / पारिश्रमिक	अभ्युक्ति
	स्थायी	अस्थायी						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
निदेशक	1	—	1	1	—	आई.ए.एस./पी.सी.एस. वेतनमान के अनुसार		
उप रजिस्ट्रार	1	—	1	1	—	15600—39100	अतिरिक्त प्रभार, वेतन निदेशालय, अ०सं०क० से आहरित	
निरीक्षक	1	—	1	—	1	9300—34800	अतिरिक्त प्रभार, वेतन निदेशालय, अ०सं०क० से आहरित	
योग:-	03	—	03	02	01			

आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित कार्मिक:-

पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	मासिक / पारिश्रमिक	अभ्युक्ति
कनिष्ठ सहायक	05	04	—	17279.00	उपनल के माध्यम से कार्यरत
		01	—	18185.00	पी०आर०डी० के माध्यम से कार्यरत
लेखाकार	1	1	—	17279.00	उपनल के माध्यम से कार्यरत
उर्दू अनुवादक	1	1	—	17279.00	उपनल के माध्यम से कार्यरत
अनुसेवक	2	2	—	18185.00	पी०आर०डी० के माध्यम से कार्यरत
स्वीपर कम चौकीदार	1	1	—	14486.00	उपनल के माध्यम से कार्यरत

खण्ड-11

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों
पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने
प्रत्येक अभिकरण को आंवटित बजट

खण्ड-11

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आंवटित बजट

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून को वर्ष 2023–24 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासन स्तर से अवमुक्त धनराशि का विवरणः—

धनराशि लाख में

क्र. सं.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए प्राविधानित धनराशि			शासन स्तर से निदेशालय को अवमुक्त धनराशि			निदेशालय स्तर से आहरण वितरण अधिकारी/प्रतिष्ठानों को अवमुक्त धनराशि			व्यय/आहरित धनराशि		
		प्लान	नैन प्लान	योग	प्लान	नैन प्लान	योग	प्लान	नैन प्लान	योग	प्लान	नैन प्लान	योग
राजस्व लेखा :													
1	वेतन—01	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	6.88	0.00	6.88
2	मजदूरी—02	3.30	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	3.28	0.00	3.28
3.	महंगाई भत्ता—03	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	02.91	0.00	02.91
4.	यात्रा व्यय—04	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.11	0.00	0.11
5.	अन्य भत्ते—06	02.00	0.00	02.00	02.00	0.00	02.00	02.00	0.00	02.00	0.65	0.00	0.65
6.	मानदेय—07	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	1.14	0.00	1.14
7.	पारिश्रमिक—08	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	21.26	0.00	21.26
8.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति—09	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50
9.	लेखन सामग्री एवं छपाई—20	04.00	0.00	0.40	0.40	0.00	04.00	04.00	0.00	04.00	0.47	0.00	0.47
10.	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण—21	03.00	0.00	03.00	03.00	0.00	03.00	03.00	0.00	03.00	03.00	0.00	03.00
11.	कार्यालय व्यय—22	06.00	0.00	06.00	06.00	0.00	06.00	06.00	0.00	06.00	01.14	0.00	01.14
12.	विज्ञापन, बिक्री, विष्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय—24	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	04.50	0.00	04.50
13.	उपयोगिता बिलों का भुगतान—25	01.00	0.00	01.00	01.00	0.00	01.00	01.00	0.00	01.00	0.46	0.00	01.00
14.	कम्प्यूटर हार्डवेयर, साप्टवेयर व अनुरक्षण—26	01.00	0.00	01.00	01.00	0.00	01.00	01.00	0.00	01.00	01.00	0.00	01.00
15.	गाड़ियों के संचालन, अनुरक्षण ईंधन आदि खरीद—29	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	02.56	0.00	02.56
16.	आतिथ्य व्यय—30	05.00	0.00	05.00	05.00	0.00	05.00	05.00	0.00	05.00	0.26	0.00	0.26

खण्ड—12

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि
और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।

खण्ड-12

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के
लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।

इस कार्यालय से सूचना शून्य में प्रेषित।

खण्ड—13

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

अपने द्वारा अनुदत्त छूटों अधिकार—पत्रों अधिकृतियों के
प्राप्तकर्ताओं का विवरण

खण्ड-13

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

अपने द्वारा अनुदत्त छूटों अधिकार-पत्रों अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित मेंरिट कम मीन्स (के. पोषित), दशमोत्तर छात्रवृत्ति (के. पोषित) एवं कक्षा 1-10 तक भारत सरकार की पूर्वदशम् छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने हेतु जिन्होंने गत परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हैं तथा उनके अभिभावकों की वार्षिक आय रु. 250,000/-, रु0 200,000/- एवं रु0 100,000/- तथा पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 10 राज्य सरकार) हेतु वार्षिक आय रु0 100,000/- तक निर्धारित है।

खण्ड—14

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में व्यौरे जो
उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों।

खण्ड-14

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में व्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या
उसके द्वारा धारित हों।

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् कार्यालय की वेबसाइट www.ukmadarsaboard.org.in है, जिसमें समय-2 पर कार्यालय से संबंधित महत्तवपूर्ण जानकारियां डाउनलोड करा दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् की अपनी email Id-: ukmadarsaboard@gmail.com भी है, जिससे महत्तवपूर्ण समय में पत्रों को भेजने एवं प्राप्त करने में सुविधा होती है।

खण्ड-15

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयां, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो,
कार्यकरण घंटे सम्मिलत हैं।

(The particulars of facilities available to citizens for obtaining information including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use.)

खण्ड-15

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयां, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।

(The particulars of facilities available to citizens for obtaining information including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use.)

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद एवं अल्पसंख्यक कल्याण भवन में एक वाचनालय कक्ष स्थापित किया जायेगा, जिसमें विभाग से सम्बन्धित पुस्तकों उपलब्ध रहेगी, निदेशालय स्तर पर समस्त अभिलेख/विशिष्टियों का अवलोकन करने की व्यवस्था है, जिसे कोई भी व्यक्ति अवलोकित कर सकता है।

जिला स्तर पर जिला समाज/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में यह व्यवस्था की गयी है।

सूचना के अधिकार अधिनियम का सूचना पट सभी लोक सूचना अधिकारियों के कार्यालय में नागरिकों की सुविधा के लिए लगाया गया है। नागरिक जन कार्यालय अवधि में 10.00 बजे प्रातः से 5.00 बजे सायं तक विभाग से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अभिलेख, मैनुअल आदि अवलोकन कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। यदि इस संबंध में उन्हें परामर्श की आवश्यकता हो तो, आवश्यक परामर्श भी प्रदान किया जाता है।

खण्ड-16

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य
विशिष्टियां नामित लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम
एवं दूरभाष संख्या।

खण्ड-16

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां नामित लोक सूचना
अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं दूरभाष संख्या।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	नामित पद	कार्यालय पता	कार्यालय दूरभाष सं0
1.	श्री राजेन्द्र कुमार	निदेशक,	अपीलीय अधिकारी,	अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून।	0135—2975456
2.	श्री अब्दुल यामीन	उप रजिस्ट्रार	लोक सूचना अधिकारी	अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला,, देहरादून।	0135—2975456
3.	श्री विजय कुमार	कनिष्ठ सहायक	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला,, देहरादून।	0135—2975456

खण्ड-17

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

अन्य सूचना, जो विहित की जाय
(Such other information as may be prescribed)

खण्ड-17

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)
अन्य सूचना, जो विहित की जाय
(Such other information as may be prescribed)

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् कार्यालय वर्तमान में अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगतसिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून में स्थित है। अल्पसंख्यक कल्याण भवन में वर्तमान में निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड एवं उत्तराखण्ड बहुउद्देश्य वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड आदि कार्यालय संचालित हो रहे हैं।

प्रशासकीय स्तर	अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी		
	पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेली0नं0/ई-मेल
निदेशालय/ विभागाध्यक्ष (अ) मुख्यालय	उप निदेशक, (अपीलीय अधिकारी)	अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून।	फोन नं0-0135-2780122 ukdirectorminority @gmail.com
निदेशालय/ विभागाध्यक्ष (अ) मुख्यालय	मुख्य प्ररशासनिक अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी)	अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून।	फोन नं0-0135-2780122 ukdirectorminority @gmail.com

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण के अधीन उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् का विवरण:-

1. निदेशक, (अपीलीय अधिकारी)	उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून।	फोन नं0-0135-2975456 ukmadarsaboard@gmail.com
2. उप रजिस्ट्रार, (लोक सूचना अधिकारी)	उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून।	फोन नं0-0135-2975456 ukmadarsaboard@gmail.com

**सूचना जन अधिकार अधिनियम-2005 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्वारा निम्न आदेशों
का पालन किया जाता है :-**

1. उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून में अपीलीय अधिकारी का कार्य उप रजिस्ट्रार, द्वारा सम्पन्न किया जायेगा एवं इस निमित उन्हें नामांकित किया गया है।
2. लोक सूचना अधिकारी का कार्य उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून के निरीक्षक द्वारा तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी का कार्य कनिष्ठ सहायक द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है एवं इस निमित्त उन्हें नामांकित किया गया है।
3. लोक सूचना अधिकारी व सहायक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् के समक्ष दायर की जाती है, जिसमें उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अपील अथारिटी होते हैं। प्राप्त समस्त अपीलों को एक पंजिका में रखा जाता है, जिसमें अपील से सम्बन्धित विवरण व अन्य आवश्यक सूचनायें अंकित की जाती हैं व अपील निस्तारण की तिथि भी अंकित की जाती है। यह पंजिका सहायक लोक सूचना अधिकारी की अभिरक्षा में रहती है।

धारा-4 के अनुसार

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

वेबसाइट के माध्यम से प्रकट की जाने वाली सूचना

धारा—4 के अनुसार

(उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्)

वेबसाइट के माध्यम से प्रकट की जाने वाली सूचना

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् कार्यालय की वेबसाइट www.ukmadarsaboard.org.in है, जिसमें समय—2 पर कार्यालय से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारियां अपलोड करा दी जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् की अपनी email Id-: ukmadarsaboard@gmail.com भी है, जिससे महत्त्वपूर्ण समय में पत्रों को भेजने एवं प्राप्त करने में सुविधा होती है। परिषद् के अधिनियम, मान्यता आवेदन फार्म, परीक्षा आवेदन फार्म एवं परीक्षाफल आदि सूचनाएं कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।